श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2012 को सम्पन्न विभिन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक की कार्यवाही

- **उपस्थिति :-**
  1. कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. राजीव प्रसाद सिंह रंजन, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
  3. विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
  4. मिथिलेश कुमार साहू, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर।
  5. कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर एवं जिला प्रोगाम पदा0, मुंगेर।
  6. राजेश कुमार गुप्ता, व0उ0समा0 प्रभारी जिला राजस्व शाखा।
  7. राजेश कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी जिला नजारत।
  8. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0 प्रभारी जन शि0 को0, मुंगेर।
  9. अमिताभ कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला आपदा एवं मंडल कारा, मुंगेर।
  10. आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर।
  11. आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना, मुंगेर।
  12. कौशल कुमार यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  13. मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  14. अखिलेश कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला सूचना कोषांग, मुंगेर।
  15. अहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास।
  16. रविशंकर उराँव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
  17. विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर।
- **छुट्टी अथवा किसी अन्य कार्य से अनुपस्थित पदाधिकारी :-**
  1. मुर्शीद आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. विनोद कुमार सिंह, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
  3. मुकेश कुमार अग्रवाल, व0उ0समा0 प्रभारी जिला शस्त्र एवं सामान्य शाखा।
  4. पंकज कुमार झा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर।

सर्वप्रथम वर्तमान में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों के प्रभार में नयें पदाधिकारियों को नामित करने संबंधी आदेश में अंशतः बदलाव की जरूरत पर बल देते हुये निदेश दिया गया कि फरवरी, 2012 में सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा शाखओं/कार्यालयों द्वारा किये गयें निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन की जांच करेंगे एवं परिलक्षित त्रुटियों का निराकरण करेंगे। तत्पश्चात् कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निम्न निदेश दिये गये : –

- **नीलाम पत्र :-** सभी बड़े बकायेदारों की सूची पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को उपलब्ध कराते हुये उनके उपर आवश्यकतानुसार वारंट निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे।
- **सूचना का अधिकार :-**
  - अपर समाहर्त्ता, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपील हेतु कई महत्वपूर्ण पत्र विभाग द्वारा प्रेषित किये गये हैं जिनको ससमय सुनवाई कर वादों को निष्पादित करेंगे।
  - चूँकि समाहरणालय अन्तर्गत शाखाओं/कार्यालयों के अपीलीय पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, मुंगेर हैं इसलिये लंबित अपीलों के विरूद्ध लोक सूचना पदाधिकारी एवं आवेदक को बुलाकर सुनवाई कर वाद को निष्पादित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
  - चर्चा के क्रम में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि जिलान्तर्गत सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत नियमों/निदेशों/महत्वपूर्ण पत्रों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण आयोजन कराना आवश्यक है। इस निमित्त निदेश दिया गया कि दिनांक 16.10.12 को एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दो

पालियों (प्रथम पाली–जिला स्तरीय लोक सूचना पदाधिकारी एवं द्वितीय पाली–अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय लोक सूचना पदाधिकारी) में आयोजन किया जाये।

- **सामाजिक सुरक्षा** :– वर्तमान में पेंशन आच्छादित लाभार्थियों की फोटोग्राफी को इस सप्ताह तक अपलोड कराया जाये तथा उसका प्रिंटआउट सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुये परिलक्षित त्रुटियों के निराकरणोंपरान्त सत्यापित कर वापस करने का निदेश देंगे।
- **आई0सी0डी0एस0** :– निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण कर सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर अग्रेत्तर कार्रवाई करें।
- **विधि** :– विधि विभाग को प्रत्येक माह भेजे जाने वाले CWJC/MJC/LPA/ इत्यादि संबंधी प्रतिवेदन में विमर्शोपरान्त दिये गये निदेश के आलोक में प्रतिवेदन को शुद्ध करना इस सप्ताह की सर्वोच्च प्राथमिकता नये व030समा0 प्रभारी, श्री रविशंकर उराँव की होनी चाहिये।
- **आपदा प्रबंधन** :– इस सप्ताह तक आपदा प्रबंधन जिला कार्य योजना के प्रकाशन हेतु सारी फॉमेटिंग पूर्ण कर ली जाये ताकि यथाशीघ्र उसकी छपायी करायी जा सके।
- **आपूर्त्ति** :– किरोसिन तेल के उठाव संबंधी संचिका प्रत्येक माह की पहली तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित की जाये। साथ ही प्रत्येक दिन डीलरों द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की जानकारी प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता।
- **भू–अर्जन** :– श्री भानू प्रकाश, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि धनपुरा पुल, घोरघट पुल एवं एन0एच0–80 जैसे महत्वपूर्ण भूमि अर्जन संबंधी कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाये। साथ ही गंगापुल के एप्रोच पथ में विस्थापित लोगों को रेलवे द्वारा नौकरी देने के प्रश्न पर यथाशीघ्र जांच कर रेलवे को अनुशंसा पत्र भेजा जाये।
- **नजारत** :– नजारत उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्रों के विरूद्ध सितम्बर माह तक भुगतान सुनिश्चित करें तथा सभी आपूर्तिकर्त्ताओं को निदेश निर्गत करें कि 10.10.12 के बाद सितम्बर माह का विपत्र प्राप्त होने पर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- **विकास** :– उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अगस्त एवं सितम्बर माह में मनरेगा योजनान्तर्गत चयनित योजनाओं के जांच पर कृत कार्रवाई संबंधी संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करेंगे एवं सभी संबंधित जांच दल के वरीय उपसमाहर्त्ताओं को उपलब्ध करायेंगे ताकि आगामी बैठक में इस पर विशेष रूप से विचार–विमर्श किया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

02/10/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1880 /गो0,दिनांक 02/10/12

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/ जिला

परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 02/10/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1880/गो0, दिनांक 02/10/12

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 02/10/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।